भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

TREASURY OFFICE GHAZIABAD

10 MAY 2018

एक हजार रुपये

Chief Treasury Officer

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 721857

1

किरायानामा (मियाद-30 वर्ष)-

स्टाम्प अंकन-1,600/-रु.

हम कि **श्री सुरेश कुमार** (यूनिक आई.डी.-5380-8685-2187) पुत्र श्री बलदेव राज निवासीः ए-11, शिव विहार, राम वाटिका, पार्क, साहिबाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद, बहैसियत मुख्तारेआम मिनजानिब मनीष अरोडा पुत्र दीनानाथ अरोडा नि0ः क्यू-303सी, पीतमपुरा, दिल्ली (डायरैक्टर द्वारा संस्कृति इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, गा.बाद) ... प्रथम पक्ष (मालिक)।

एवं

संस्कृत इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ट्रस्ट, ए-9/1, न्यू डिफेंस कॉलोनी, भौपुरा, तहसील व जिला गाजियाबाद, द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी-**श्री नरेश कुमार** (यूनिक आई.डी.-8787-1262-3539) पुत्र श्री बलदेव राज निवासीः ए-11, शिव विहार, राम वाटिका, पार्क, साहिबाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद ... द्वितीय पक्ष (किरायेदार)।

44

... की तिथि 25 ...

... कुमार शर्मा ...

...-159

...131, ...

पट्टा अनुबंध विलेख

प्रतिफल- 36000 स्टाम्प शुल्क- 1600 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 720 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 780

श्री संस्कृत इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ट्रस्ट, द्वारा–अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा
नरेश कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री बलदेव राज
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ए–11, शिव विहार, राम वाटिका पार्क, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यूपी

श्री, संस्कृत इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ट्रस्ट, द्वारा–अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा — नरेश कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 21/06/2018 एवं 02:34:11 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शर्मा नविनकुमार एस0
उप निबंधक :सदर द्वितीय
गाजियाबाद

... सब रजिस्ट्रार द्वितीय गाजियाबाद ... उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

TREASURY OFFICE
GHAZIABAD
- 6 JUN 2013

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

Z 577512

विदित हो कि सम्पत्ति, भूमि खाता नं.–127 के खसरा नं.–569मि. में से

KUMAR
Advocate
Sadar Tehsil, Ghaziabad
Registration No UP/6142/0

क्रम संख्या.........15.....दिनांक.............. 21.6.2018
विक्रय करने का प्रयोजन..........................
विक्रेता का नाम व पूरा पता..........................
क्रय की [illegible].............................
[illegible] स्टाम्प विक्रेता
[illegible] नं०-78
लाइसेंस [illegible] की अवधि 31-3-20
स्टाम्प विक्रय करने का स्थान
137 [illegible] गाजियाबाद

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री मनीष अरोडा के द्वारा सुरेश कुमार, पुत्र श्री बलदेव राज

निवासी: ए-11, शिव विहार, राम वाटिका पार्क, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यूपी

व्यवसाय: अन्य

पट्टा गृहीता: 1

श्री संस्कृत इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ट्रस्ट, द्वारा-अधिकृत हस्ताक्षरी के द्वारा नरेश कुमार, पुत्र श्री बलदेव राज

निवासी: ए-11, शिव विहार, राम वाटिका पार्क, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यूपी

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री शिव कुमार, पुत्र श्री दुलीचन्द

निवासी: ग्राम कैली, जिला मेरठ

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री विशाल, पुत्र श्री मास्टर टी० राम

निवासी: 2180, अतरपुरा, हापुड़

व्यवसाय: अन्य

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शर्मा नवीनकुमार एस0
उप निबंधक : सदर द्वितीय
गाजियाबाद

प्रिंट करें

भूमि रकबा-6570 वर्गमीटर यानि 7857 वर्गगज, जिसमें बीस कमरे, 6 बाथरुम, 1 कचन बने हैं, स्थितः ग्राम मथुरापुर, परगना जलालाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद, का प्रथम पक्ष के हक में मुख्तारनामा आम दि.-13.09.2017 को बही नं.-4, जिल्द-471, सफे-1/14, दस्तावेज नं.-1392 पर सब-रजिस्ट्रार-2, गा.बाद, में दर्ज हुआ है, जो आज तक बदस्तूर कायम है, खण्डित नहीं हुआ है, के द्वारा प्रथम पक्ष को उक्त सम्पत्ति की बावत सब अधिकार प्राप्त हैं, जो आज तक पूर्णतः पाक व साफ है, कोई दोष-त्रुटि नहीं है। अब उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष मालिक ने द्वितीय पक्ष किरायेदार को अपनी खुशी व रजामन्दी, व समस्त स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में रु.-500/-(पांच सौ रु.) मासिक किराये पर दि.-01.04.2018, से 30 वर्ष यानि दि.-31.03.2048 तक के लिये दे दी है, निम्नलिखित शर्तो के सभी पक्षकार उक्त व वारसान् पक्षकार पाबन्द रहेंगे :-

1. यह कि उक्त निर्धारित किराया उक्त सभी पक्षों को मान्य है, जिसमें कमीबेशी करने का अधिकार किसी भी पक्ष को नहीं होगा।

2. यह कि उक्त निर्धारित किराया किरायेदार हर महीने प्रथम पक्ष मालिक को पेशगी देते रहेंगे, व बिजली-पानी के बिल का भुगतान किरायेदार द्वारा तय समय सीमा के अंदर सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा, व उसकी भुगतान की रसीद द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को देंगे, कुछ उजर नहीं होगा।

3. यह कि द्वितीय पक्ष ने उक्त सम्पत्ति **'व्यावसायिक/शिक्षण कार्य'** हेतू किराये पर ली है। उक्त कार्य के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष किरायेदार उक्त किराये पर ली गई सम्पत्ति में कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे, व उक्त सम्पत्ति की छत से किरायेदार का कोई वास्ता नहीं होगा, और छत पर प्रथम पक्ष को निर्माण आदि करने का पूर्ण अधिकार होगा।

4. यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार उक्त किराये पर ली गयी सम्पत्ति में किसी अन्य को शिकमी किरायेदार के रूप में आबाद नहीं करेंगे।

5. यह कि उक्त सम्पत्ति में की समस्त जिम्मेदारी किरायेदार की होगी, व उक्त सम्पत्ति से किरायेदार किसी प्रकार की छेड़-छाड़ इत्यादि नहीं करेगा, व उक्त सम्पत्ति में कोई असामाजिक या गैर-कानूनी कार्य नहीं करेगा, और यदि किरायेदार उक्त सम्पत्ति किसी प्रकार का असामाजिक या गैर-कानूनी कार्य करता है, तो प्रथम पक्ष को बिना नोटिस दिये ही सम्पत्ति को खाली कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि यदि अन्दर मियाद से पहले किरायेदार उक्त किराये पर ली गई सम्पत्ति को खाली करना चाहेगा तो -1 माह पहले लिखित में सूचित करेगा। इसी प्रकार यदि मालिक उक्त सम्पत्ति मियाद से पहले खाली कराना चाहेगा, तो वह भी -1 माह पहले लिखित में सूचित करेगा।

7. यह कि यदि द्वितीय पक्ष किरायेदार के द्वारा उक्त किराये पर ली गई सम्पत्ति में किये गये कार्य से किसी तीसरे पक्ष को किसी तरह का नुक्सान होता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी केवल किरायेदार उक्त द्वितीय पक्ष की होगी, उक्त प्रथम पक्ष का उससे कोई लेना–देना नहीं होगा, व यदि द्वितीय पक्ष के कारण प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार की हानि होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को की जायेगी।

अतः यह किरायानामा फरीकेन उक्त ने बिना किसी बहकाव व धमकाव के साथ शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में प्रसन्नचित मुद्रा में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

... ...

गवाह नं0 1-

शिव कुमार S/o श्री दुलीचन्द
ग्राम-कैली जिला मेरठ
DL-NO-306 UP15

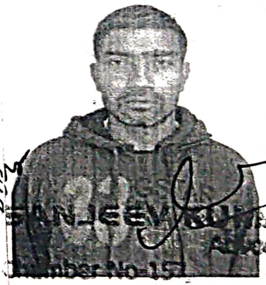

SANJEEV KUMAR
Advocate
Chamber No-157
Sadar Tehsil, Ghaziabad
Registration No UP/6142/0

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 7 EF 065566

गवाह नं0 2-

विशाल S/o श्री मास्टर टीकाराम

नि० 2180 अतरपुरा दापुड़

दिनांक-25.05.2018, मसौदा ...

तहसील कम्पाउण्ड, गाजियाबाद।

RAJEEV KUMAR
Advocate
Chamber No-15
Sadar Tehsil, Ghaziabad
Registration No. UP/6142/...